न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :— रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
02/2019	23.01.2019	22.01.2021

1. भारतेन्द्र पुत्र हरलाल
2. प्रमोद पुत्र हरलाला जातियान अहीर निवासी चाँदपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0

—: प्रार्थी

बनाम

1. दयाराम पुत्र प्रभाती
2. लालसिंह पुत्र प्रभाती
3. प्रहलाद पुत्र देवीसहाय
4. जयदयाल
5. अमरसिंह
6. शेरसिंह पुत्रान भौरिया
7. रामजीलाल
8. जयदयाल पुत्रान भौरिया
9. नानगा पुत्र श्योदान
10. रामजीलाल
11. जयदयाल
12. शेरसिंह पुत्रान श्रीकांत
13. गुलाबदेवी
14. सरबती
15. छोटिया
16. क्लावती
17. सन्तोष पुत्रीयान भौरिया
18. सुरजीत पुत्र भौरिया
19. कमल पुत्र रामसेवक
20. छाजूराम पुत्र चौखला
21. छीतरमल पुत्र चौखला
22. छोटाराम पुत्र मंगला
23. नेतराम पुत्र बुधा
24. भयराम पुत्र बुधा जातियान अहीर निवासीयान चादपुर तहसील मुण्डावर
25. मनोज
26. अजीत सिंह पुत्रान रामवतार
27. शान्ती पत्नी रामावतार
28. सन्तरा
29. शीला पुत्रीयान बद्रीप्रसाद उर्फ बद्री जातियान अहीर निवासीयान चादपुर तहसील मुण्डावर
30. ओमप्रकाश
31. सुबेसिंह
32. बलवीर
33. बनवारीलाल
34. राजेन्द्र पुत्रान यादराम
35. विजय
36. राजपाल
37. वेदप्रकाश पुत्रान प्रभू
38. शान्ती पत्नी प्रभू

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:03:18 IST
Reason: SelfAttested

२५६ उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

39. वेदमती पुत्री प्रभू जातियान अहीर निवासी चादपुर तहसील मुण्डावर
40. नित्यानन्द
41. विवेकानन्द पुत्रान रामसेवक जातियान अहीर निवासी चादपुर तहसील मुण्डावर
42. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

—:निर्णयः—

दिनांक :— 22.01.2021

1. **प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा कि :—**

1. यह है कि वाके ग्राम चादॅपुर तहसील मुण्डावंर के खाता स0 759 में वर्णीत आराजी खसरा नम्बर 464 रकबा 0.07 है0, व उक्त खाता में वर्णीत आराजी मिन प्रार्थीगण के पिता हरलाल पुत्र प्रहलाद के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है तथा मिन प्रार्थीगण का पिता हरलाल फौत हो चुका है, जिसकी विरास्त इन्तकाल मिन प्रार्थीगण के नाम दर्ज नही हो सकी है। जबकी आराजी हम प्रार्थीगण को जरियें विरास्त प्राप्त हुयी है। जिस पर हम प्रार्थीगण काबिज काश्त है।
2. यह है कि खसरा नम्बर 464 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम चादपुर तहसील मिन प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है, जिस पर मिन प्रार्थीगण काबिज है तथा काश्त कर रहे है तथा आराजी के राजस्व ,रिकोर्ड में मिन प्रार्थीगण के पिता के नाम का अंकन दर्ज हो रहा है तथा मिन प्रार्थी ने आराजी में एक कृषि कार्य हेतु मकान का निर्माण किया हुआ है।
3. यह है कि मिन प्रार्थी अपनी आराजी में व आराजी में बने मकान में आने जाने के लिये कोई रिकोर्डड रास्ता नही है, रास्ता नही होने के कारण मिन प्रार्थी अपनी आराजी में सामान लाने ले जाने व आवागमन करने में असमर्थ है।
4. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 498 रकबा 0.05 है0 गौण है, जिस गौण खसरा नम्बर 498 तक एक रास्ता, आम रास्ता से जा रहा है, तथा उक्त खसरा नम्बर 498 के साथ लगते हुये खसरा नम्बर 463, 491 है, तथा जो गौण खसरा नम्बर 498 व खसरा नम्बर 491 अप्रार्थीगण की आराजी है तथा मिन प्रार्थी खसरा नम्बर 498 व 463, 491 की पश्चिम डोल के साथ साथ अपनी आराजी में आवागमन कर रहे है, लेकिन रा[illegible] नही होने के कारण मिन प्रार्थीगण को परेशानी हो रही है। [illegible] चौडा रास्ता खसरा नम्बर 498, 463, 491 में से का[illegible] हुये दिलाया [illegible] जिससे मिन प्रार्थीगण अपनी आराजी में सुविधाजनक' तरीके से आवागमन कर सके।
5. यह है मिन प्रार्थीगण को अपनी आराजी व आराजी में स्थित मकान तक पहुचने वा वापिस आने में बडी रूकावट वा मुसीबत होती है, तथा अप्रार्थीगण आये दिन रास्ता बन्द कर देते है, जिससे मिन प्रार्थी को काफी परेशानी होती है तथा अब दिनांक 15.01.2019 का अप्रार्थीगण ने रास्ता बन्द करने की एलानिया धमकी दी है। बस यही प्रार्थना पत्र हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदार होकर प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया है।

२५६ उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:03:18 IST
Reason: SelfAttested

6. यह है कि प्रार्थना पत्र नया रास्ता कायम किये जाने हेतु पेश किया जा रहा है। इसलिए भूमिधारी तहसीलदार को पक्षकार बनाया है, परन्तु राजस्थान सरकार के खिलाफ कार्यवाही करने से पूर्व नोटिस 02 माह धारा 80 जी0 दी0 दिया जाना आवश्यक होता है। लेकिन फसल कटाई का समय होने के कारण प्रार्थना पत्र अर्जेन्ट नेचर का होने की वजह से नोटिस दिया जाना सम्भव नही है। इसलिए नोटिस दिये जाने से माफी चाहने हेतु व बिना नोटिस दिये ही प्रार्थना पत्र पेश किये जाने हेतु अलग से धारा 80 (2) जा0 फौ0 का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि –

प्रार्थना पत्र मिन प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मिन प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 464 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम चादपुर तहसील मुण्डावर तक पहुचने के लिये, मिन प्रार्थीगण को आराजी हाल खसरा नम्बर 498, 463, 491 वाके ग्राम चादपुर तहसील मुण्डावर में से 20 फुट चौडा नया रास्ता कायम कर, रास्ता घोषित किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

1. प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। सभी अप्रार्थीगण की तामील सम्यक रूप से हुई। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दप्रकाश शर्मा हुए। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहसीलदार से रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र में सुनवाई हेतु रखा गया।
2. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–2073, नक्शा ट्रेस पेश किये गये।
3. अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य, सबूत पेश नही किये गये।
4. तहसीलदार, मुण्डावर से मौका रिपोर्ट ली गई।
5. बहस वकूलाय सुनी गई।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

प्रार्थीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 498, 463 व 491 में से खसरा नम्बर 464 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम चादपुर तहसील मुण्डावर तक पहुचने के लिए रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार मुण्डावर की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 498 रकबा 0.05 है0 किस्म गै0 मु0 चाह, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.13 है0 किस्म चाही अलीफ एवं खसरा नम्बर 463 रकबा 0.12 है0 किस्म चाही अलिफ दर्ज है। खसरा नम्बर 498 के दक्षिण दिशा पर सडक के पास दोनो तरफ आवासिय मकान बने हुए है कुए से आगे खसरा नम्बर 498 व 491 की पश्चिमी मेड खसरा नम्बर 463 की पूर्वी की पूर्वी मेड पर खसरा नम्बर 464 में पहुचने के लिये पगडंडी है खसरा 463 में आबादी बसी है।

अप्रार्थीगण के तर्क रहे कि प्रार्थीगण के द्वारा चाहे गये रास्ते में आराजी खसरा नम्बर 498 रकबा 0.05 है0 किस्म गै0 मु0 चाह है जो अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावी है, खसरा नम्बर 498 के दक्षिण दिशा पर सडक के पास दोना तरफ आवासिय मकान बने हुए है, खसरा नम्बर 463 में आबादी बसी है। इसलिस प्रार्थना पत्र को खारीज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:03:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

समस्त तथ्यों के अवलोकन पर पाया गया कि आराजी खसरा नम्बर 498 रकबा 0.05 है0 किस्म गै0 मु0 चाह है जो अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभाघी है, खसरा नम्बर 498 के दक्षिण दिशा पर सडक के पास दोना तरफ आवासिय मकान बने हुए है, खसरा नम्बर 463 में आबादी बसी है। इसलिए प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता विधि के अनुसार नही है।

—:: आदेश ::—

न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। क्योकि आराजी खसरा नम्बर 498 रकबा 0.05 है0 किस्म गै0 मु0 चाह है जो अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावी होने के कारण प्रार्थना पत्र को खारीज किया जाता है।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

निर्णय आज दिनांक **22.01.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:03:18 IST
Reason: SelfAttested